

यह जमीन पर राज. पाठ  
सरकार परिसर तहसीलदार  
जयवारागढ की कोर से  
अन्तर्गत धारा 136 CR Act  
के तहत पेश किया। जमीन  
पर दर्ज रजिस्ट्रार हो, तबही  
अपार्थी राजों की जारी  
होकर निरंक 11/41/9 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
जयवारागढ

11/41/9

पत्रावली पेश हुई। पेंरोकार साफल रूप

(पत्रावली पूर्वानुसार बास्ते तनीये / ...)

दिनांक 12/11/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
जयवारागढ

11/41/9

पत्रावली पेश हुई। पेंरोकार साफल  
उपखण्ड पुरवारी हस्ता रिज  
जात हुई। पास पर साफलसाण प्रमाण  
शुभचन्द्र पुत्र कण्ठराज जी, विराधाजी  
सीताराम, राष्ट्र। नामच्छ ने  
हस्ताक्षर किए जो शामिल रहे।

पेंरोकार साफल ने प्रस्तुत  
जाण चाड पर ने किरित किया  
कि वर्तमान में तहसील जयवारागढ  
में सेंग्री बेशान का कार्य चल रहा  
हो सेंग्री बेशान के दौरान जमीन  
शुभचन्द्र तहसील जयवारागढ  
जिला जयपुर की जमीन तक्र 200-23  
के प्राप्ति की जांच की गई तो पाया  
कि श्वारा सा 11 के क्रमांक 43, 44  
के दिखते सभी दर्ज नहीं हो। का.  
दिसे प्रस्तुत करने के आदेश  
तहसील जयवारागढ ने निवेदन किया

070 से  
गान  
जानकारी  
कुशल  
सरवा  
6 हरेम  
उपरोक्त  
बे रब-ज  
स्टेयर हो  
02/1/18  
MP  
विपर  
माफ  
2073  
2 खवा  
जाना


# फर्द अहकाम

सरकार बनाम राजेशपाठ

नाम न्यायालय

केस संख्या 23/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>एकरी पत्रावली का अन्वेषण किया गया पत्रावली हत्याकांड की फर्द में रिपोर्ट दिनांक 10/7/19 पर बनाने किमां गणन फर्दों के उपरान्त राजप सरकार की योजना DILRMP व R.T. मिट भी धारा 80 के तहत पत्रावली हत्या की रिपोर्ट दिनांक 10/7/19 के अनुसार हिस्सा प्रकृत करने के क्रम में तदानीय प्रशासक को दिनांक 10/7/19 के अनुसार राजप विकास में किया गया</p> <p>गिरफ्तार व फर्दों की रिपोर्ट दिनांक 10/7/19 की प्रति तदानीय प्रशासक को पालन में हस्तान्तरित किया</p> <p>पत्रावली फर्दों प्रकृत करके नगर में का होना शर्त कार्यालय उपरान्त</p> <p>गिरफ्तार सुगम 10/7/19</p>

  
 उपरान्त पत्रावली  
 न्यायालय

